पत्रांक–भवन/विधि–विविध–18/2024............/ 7476 (अ) अनु

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

नीरज कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित),
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना दिनांक– 11/8/26

विषयः– पुराने गठित पैनल अधिवक्ता से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर तैयार विवाचनवाद की सूची में अद्यतन प्रतिवेदन अंकित कर सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय ज्ञापांक–6266 (भ0) दिनांक–09.07.2026 एवं पत्रांक–6315 (भ0) अनु0 दिनांक–10.07.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) के संबंध में कहना है कि पुराने गठित पैनल अधिवक्ता से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर तैयार विवाचनवाद की सूची में संबंधित प्रमंडल एवं अद्यतन स्थिति की सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, परंतु आदिनांक विवाचनवाद की सूची में अद्यतन प्रतिवेदन अंकित कर सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया है। साथ ही उल्लेखित करना है कि दिनांक–08.07.2026 को विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से अपर सचिव की अध्यक्षता में आहूत बैठक में अनुपालन हेतु कई आवश्यक निदेश दिये गये थे (बैठक की कार्यवाही संलग्न)।

अतः उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में 07 (सात) दिनों के अंदर निम्नवत् सूचना उपलब्ध कराया जायः–

1. पुराने गठित पैनल अधिवक्ता से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर तैयार विवाचनवाद की सूची में संबंधित प्रमंडल एवं अद्यतन स्थिति की सूचना। यदि कोई मामला आपके प्रमंडल से संबंधित नहीं है तो शून्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

2. आपके कार्यालय अंतर्गत CWJC, MJC, विवाचनवाद, Request case, Execution case, LPA, Civil Review एवं S.L.P. आदि के लंबित मामलों एवं किसी वाद में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आलोक में यथोचित की गयी कार्रवाई (यथा–अनुपालन, रिव्यू, अपील दायर, अन्य विधिक कार्रवाई आदि) से संबंधित सूचना।

निर्धारित समय–सीमा में आपके द्वारा सूचना/प्रतिवेदन (अगर कोई मामला नहीं हो तो शून्य प्रतिवेदन) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आपके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी। कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

Kumal 10/08/2026

(नीरज कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 7476 (अ) अनु पटना, दिनांक– 11/8/26

प्रतिलिपि– अनुलग्नक सहित सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनु0–यथोक्त।

Kumal 10/08/2026

सरकार के अवर सचिव।

E:\SARITA_2024 _legal\LEGAL ASO BCD\AJEET_2024\DY_SECY_LETTER_20244.docx

दिनांक–08.07.2026 को अपर सचिव (वरीय प्रभारी विधि प्रशाखा), भवन निर्माण विभाग की अध्यक्षता में V.C. के माध्यम से विभाग के सभी न्यायालय वादों के त्वरित निष्पादन हेतु सभी मुख्य अभियंता, सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित) एवं सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित) के साथ आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाहीः–

अपर सचिव द्वारा भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से संबंधित सभी न्यायालय वादों पर V.C. के माध्यम से निम्नांकित आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गयेः–

(i) अपर सचिव के द्वारा V.C. में भाग ले रहे सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

(ii) अपर सचिव ने जानकारी दी कि न्यायलय वादों के अंतर्गत CWJC, MJC, विवाचनवाद, Request case, Execution case, LPA, Civil Review एवं S.L.P. आते हैं।

(iii) सभी कार्यपालक अभियंता अपने-अपने कार्यालय में यह जाँच कर लें कि उनके कार्यालय से संबंधित कितने वाद न्यायालय में चल रहें हैं एवं कितनों में आदेश पारित है। जिन मामलों में आदेश पारित है उसके अनुपालन की क्या स्थिति है? अन्य मामलों के संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर यथोचित कार्रवाई तुरंत किया जाय।

(iv) सभी विवाचनवाद की सूची तैयार कर अद्यतन स्थिति के साथ विधि प्रशाखा को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराया जाय। साथ ही पैनल अधिवक्ता से सम्पर्क कर उनके विमर्शानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।

(v) सभी कार्यपालक अभियंता यह भी जाँच कर लें कि उनके कार्यालय से संबंधित कितने Execution case है तथा उनकी अद्यतन स्थिति क्या है। Execution Case (इजरायवाद) में ससमय कार्रवाई नहीं होने से सरकार को सूद की राशि का भुगतान करना पड़ता है जिससे सरकार के उपर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ता है।

(vi) विवाचनवाद सं0–12/2020, 13/2020 एवं 14/2020 देव कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य किस प्रमंडल से संबंधित है। वहाँ के कार्यपालक अभियंता पैनल अधिवक्ता श्री अमीश कुमार से अविलंब सम्पर्क करें।

(vii) बैठक के दौरान यह भी निदेश दिया गया कि विवाचनवाद की पैरवी हेतु तैयार पुराने पैनल के अधिवक्ता श्रीमती अलका वर्मा एवं श्री विन्ध्याचल राय के यहाँ से विवाचनवाद से संबंधित संचिका को अविलंब प्राप्त कर वर्त्तमान पैनल अधिवक्ता श्री अमीश कुमार एवं श्री अपूर्व कुमार को हस्तगत कराएं।

(viii) किसी भी न्यायालय वाद में किसी भी तरह की अस्पष्टता हो, तो विभागीय विधि पदाधिकारी से सम्पर्क कर सलाह प्राप्त कर सकते है।

(ix) यह स्पष्ट किया गया कि यदि माननीय न्यायालय के किसी आदेश के विरूद्ध अपील, रिव्यू, एल0पी0ए0, एस0एल0पी0 आदि दायर करना है, तो आदेश की प्रति प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर अपने अधीक्षण अभियंता के माध्यम से मुख्य अभियंता को प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय अन्यथा आदेश का पालन किया जाय।

(x) सभी कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता अपने एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों की न्यायालय वादों की समीक्षा साप्ताहिक रूप से करें।

(xi) माननीय न्यायालय के आदेश पर ससमय यथोचित कार्रवाई नहीं किये जाने पर अथवा आदेश/अवार्ड पर यथोचित कार्रवाई नहीं करने पर दोषी पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

सधन्यवाद बैठक सम्पन्न हुई।

(संजय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव
भवन निर्माण विभाग, पटना।

ज्ञापांक-भवन विधि/विविध-18/2024 6266(भ) पटना, दिनांक- 9/7/24

प्रतिलिपिः-सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित) एवं सभी कार्यपालक अभियंता(विद्युत सहित), भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव
भवन निर्माण विभाग, पटना।

ज्ञापांक-भवन/विधि/विविध-18/2024 6266(भ) पटना, दिनांक- 9/7/24

प्रतिलिपिः-सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव
भवन निर्माण विभाग, पटना।